निर्णय दिनांक : 27.08.2026

सरकार बनाम सलीम खां वगैरा

न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारी : विनोद पंवार (आर.जे.एस.)

फौजदारी प्रकरण संख्या	**145/2015**
सी.आई.एस. संख्या	**145/2015**
पुलिस थाना	**पचपदरा**
CNR No.	RJBA130001982015

राजस्थान राज्य

..... अभियोगी

ब ना म

1. सलीम खां पुत्र हाजी खां, निवासी देदासरी, तहसील बाप, जोधपुर।
2. सुभान खां पुत्र जमाल खां, निवासी खारडी, पु.था. लूणी, जोधपुर।

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 व धारा 3/181, 113/194 एम.वी. एक्ट

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।
2. अभियुक्त सलीम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुनील अली पठान।
3. अभियुक्त सुभान की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमाराम चौधरी।

Date of Offence	24.05.2009
Date of Congnizence	28.07.2009
Date of Framing Charge	05.08.2019 व 19.08.2019
Date of Commencement of Evidence	19.08.2019
Statement U/S 313 Cr.P.C. Recorded On	03.08.2026
The Date of Conclusion of the Arguments	27.08.2026
The Date on which the Judgement was reserved	27.08.2026
Whether the full Judgement of only the Operative Part was Pronounced	Full Judgement was Pronounced
The Date of Pronouncement	27.08.2026

————

सरकार बनाम सलीम खां वगैरा

निर्णय

दिनांक :– 27.08.2026

:: संक्षिप्त तथ्य ::

01. दिनांक 28.07.2009 को थानाधिकारी पचपदरा की ओर से अभियुक्त सलीम के विरूद्ध धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 व धारा 3/181, 113/194 एम.वी. एक्ट व अभियुक्त सुभान के विरूद्ध धारा धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत इस्तगासा इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

02. दिनांक 28.07.2009 को थानाधिकारी पुलिस थाना, पचपदरा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा में उपस्थित होकर एक इस्तगासा पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.05.2009 को वक्त 12.15 पी.एम. बमुकाम पुलिस थानला पचपदरा के सामने मन जगदीश प्रसाद एस.आई. एस.एच.ओ. पी.एस. पचपदनरा मय जाब्ता द्वारा बावर्दी चैकिंग के दौरान गैर सायल सलीम खां पु. हाजी खां, उम्र 27 साल, निवासी देदासरी, पी.एस. बाप, जिला जोधपुर व सुभान खां पुत्र जमाल खां, उम्र 30 साल, निवासी खारडा, पी.एस. झंवर द्वारा वाहन पिकअप नं. आर.जे. 07 जी.ए. 0686 में दो पार्टेशन लगाकर कुल 68 भेड़ व बकरियां क्रूरतापूर्वक ठूंस–ठूंसकर बगैर परमिट परिवहन करते पाए गए जो धारा 11डी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का अपराध होने से उक्त भेड़ व बकरियों को जरिए फर्द तहवील पुलिस लिया एवं साथ ही अपराध प्रयुक्त वाहन पिकअप को भी कब्जा पुलिस लिया गया। भेड–बकरियों का आयु बाबत डॉक्टरी मुआयना कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। बयानात गवाहान लेखबद्ध किए, चारा पानी अभाव में उक्त भेड़–बकरियों को अमर बकरा धर्मादा संस्थान आसोतरा में दाखिल कराया। गैर सायलान दोनों जमानत पुलिस पर है। क्षमता से अधिक भेड–बकरियां परिवहन करना ड्राइवर के पास डी.एल. नहीं होना जुर्म धारा 113/194 व 3/181 एम.वी. एक्ट का पाया गया। इस प्रकार गैर सायलान द्वारा वाहन पिकअप के दो पार्टेशन में कुल 68 भेड़–बकरियां क्रूरतापूर्वक ठूंस–ठूंसकर बिना परमिट क्षमता से अधिक भर ड्राइवर सलीम के पास डी.एल. नहीं होते हुए परिवहन करना जुर्म धारा 11 डी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 व धारा 113/194, 3/181 एम.वी. एक्ट का अपराध काारित किया है ..... आदि।

03. अभियुक्त सलीम को अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 व धारा 3/181, 113/194 एम.वी. एक्ट व अभियुक्त सुभान को धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

04. साक्ष्य अभियोजन में निम्नलिखित गवाह के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

निर्णय दिनांक : 27.08.2026

सरकार बनाम सलीम खां वगैरा

मौखिक साक्ष्य		दस्तावेजी साक्ष्य	
पी.डब्ल्यू. 01	रेवंत सिंह	**प्रदर्श पी. 01**	फर्द बरामदगी 52 बकरे बकरियां एवं 16 भेडे कुल 68 भेड बकरिया
पी.डब्ल्यू. 02	जावंताराम	**प्रदर्श पी. 02**	फर्द जब्ती वाहन पिकअप
पी.डब्ल्यू. 03	डॉ. सजय शर्मा	**प्रदर्श पी. 03**	फर्द गिरफ्तारी सलीम खां
पी.डब्ल्यू. 04	लूंबाराम	**प्रदर्श पी. 04**	फर्द गिरफ्तारी सुभान खां
पी.डब्ल्यू. 05	विद्याधर	**प्रदर्श पी. 05 से प्रदर्श पी. 11**	फर्द इंजरी रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू. 06	भभूत सिंह	**प्रदर्श पी. 12 से प्रदर्श पी. 72**	फर्द इंजरी रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू. 07	जगदीश प्रसाद	**प्रदर्श पी. 73 व प्रदर्श पी. 74**	फर्द रोजनामचा रपट

06. अभियोजन पक्ष के अनुकूल साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भा.ना.सु.सं. में किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन परिसाक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। बरीयत पेश करना नहीं चाहा

07. सुना गया। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन व ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिंदु न्यायालय के समक्ष यह है कि :–

1. **क्या अभियुक्तगण सलीम व सुभान खां ने 24.05.2009 को 12.15 पी.एम. पर सरहद गांव पचपदरा में पुलिस थाने के सामने बाहर आम रोड पर अपने वाहन पिकअप नं. आर.जे. 07 जी.ए. 0686 में पशुओं को ठूंस–ठूंसकर भरकर इस प्रकार की स्थिति में अचानक पीडा अथवा पीडा के अधीन किया ?**
2. **क्या अभियुक्त सलीम ने दिनांक 24.05.2009 को 12.15 पी.एम. पर सरहद गांव पचपदरा में पुलिस थाने के सामने बाहर आम रोड पर अपने वाहन पिकअप नं. आर.जे. 07 जी.ए. 0686 को क्षमता से अधिक भरकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट के चालन किया ?**
3. **यदि हां तो अभियुक्त किस दंड के भागी हैं?**

:: बहस ::

08. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि गवाहान के कथनों में तात्विक विरोधाभास है एवं अपने बयानों में तनिक भी घटना की ताईद

नहीं करते हैं जिससे अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण निर्दोष हैं दोषमुक्त किया जावे।

:: विवेचन ::

09. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्तगण पर 68 भेड़ व बकरियों को क्रूरतापूर्वक ठूंस–ठूंस कर पिकअप में भरकर बिना परमिट परिवहन कर पशुओं को चोट पहुंचाने का आरोप है।

10. उक्त के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू. 01 से पी.डब्ल्यू. 07 गवाहान को परीक्षित करवाया गया। उक्त प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह जब्ती के गवाह होते हैं। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 01 के गवाह रेवत सिंह व पी.डब्ल्यू. 04 लुम्बाराम हैं। गवाह रेवत सिंह अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 24.05.2009 को पुलिस थाना पचपदरा में हैड कांस्टेबल पद पर कार्यरत था। उस समय थाने के सामने 11.30 ए.एम. बजे अवैध वाहनों की चेकिंग नाकाबंदी में मामूर होकर दौराने नाकाबंदी 12.15 बजे एक पीकअप गाडी आर.जे. 07 जी.ए. 0686 जो कि बाड़मेर की ओर से आई थी। जिसके मौका स्थल पर पहुंचने पर वे जाब्ता द्वारा रूकवाई गई। जिसमे चालक सहित दो व्यक्ति सवार थे एवं वाहन के अंदर पीछे डाले में दो पार्टों मे भेड बकरियां ठूंस–ठूंस कर क्रूरतापूर्वक भरी पाई गई। जिस पर मौका पर अन्य स्वतंत्र मौतबीर हाजिर नहीं होने से थानाधिकारी द्वारा उसे एवं लूम्बाराम कांस्टेबल को मौतबीर मामूर कर पीकअप में सवार व्यक्तियों के नाम पता पूछा गए तो चालक ने अपना नाम सलीम पुत्र हाजी खां व दूसरे ने अपना नाम सुभान खां पुत्र जमाल खां होना बताया। उक्त दोनों से वाहन में क्रूरतापूर्वक भरे गए भेड़ बकरियों के परिवहन के संबंध में वैध परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। जिस पर पिकअप में भरे गए सभी जानवरों को नीचे उतरवाया जाकर गिनती की गई तो कुल 68 भेड, बकरे, बकरियां, नर व मादा पाए गए जिनमें से तीन भेडें व चार बकरों के पांव पर चोटें होना पाई गई। जिस पर उपरोक्त सभी जानवरों जरिए फर्द कब्जा पुलिस लिए गए। उक्त मवेशी में से कुल 52 बकरे बकरियां काले व भूरे रंग के जिनमें से 41 नर व 11 मादा, 16 भेडे जिनमें से 13 नर व 03 मादा होना पाई गई। सभी मवेषियों को कान पर पीले रंग से 1 से 68 नम्बर अंकित किए गए। मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 01 तैयार की गई जिस पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती पिकअप गाडी प्रदर्श पी. 02 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम सलीम खां को जरिए फर्द प्रदर्श पी. 03 गिरफ्तार किया व मुलजिम सुभान खां का जरिए प्रदर्श पी. 04 के गिरफ्तार किया दोनों फर्दो पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर पशु चिकित्सक से सभी जानवरों का मुआयना कराया गया। सभी बरामद जानवरों को अमर बकरा धर्मादा संस्था आसोतरा को देख–रेख हेतु सुपुर्द किया गया। वहीं गवाह पी.डब्ल्यू. 04 लुंबाराम अपने मुख्य परीक्षण में उक्त गवाह रेवंत सिंह के बयानों की ताईद तथा अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए कथन करता है कि अभियुक्तगण को दिनांक 24.05.2019 को पुलिस थाने के सामने 12.15 बजे पिकअप गाड़ी आर.जे. 07 जी.ए. 0686 को जब्त किया था। उक्त पिकअप में दो पार्टों में 68 भेड़–बकरियां पाई गई, जिसमें से कुल 52 बकरे–बकरियां, 16 भेड़ें पाई गई। उक्त

सरकार बनाम सलीम खां वगैरा

गवाहान ने अभियुक्तगण से 68 भेड़–बकरियां पिकअप से जब्त किए जाने का कथन किया जो कि अखंडनीय रहे हैं। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू. 03 डॉ. संजय शर्मा जो कि पशु चिकित्सक है ने अपने बयानों के दौरान उक्त भेड़–बकरियों का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था जिसमें से प्रदर्श पी. 05 से पी. 11 में भेड़ व बकरियों को चोटें आए जाने का कथन किया और उन्होंने कुल 68 भेड़–बकरियों के मेडिकल किए जाने का कथन किया। उक्त गवाहान के बयानों से भी यह जाहिर होता है कि जब्तशुदा 68 बकरियों में से 07 भेड़–बकरियों को चोटें आई थीं एवं प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया कि झाड़ियों में फंस जाने से चोटें आ जाना संभव नहीं है।

11. गवाहान जावंताराम, विद्याधर व जगदीश प्रसाद क्रमशः पी.डब्ल्यू. 02, 05 व 07 द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में गवाहान रेवत सिंह व लुंबाराम के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किए हैं कि दिनांक 24.05.2009 को एक वाहन पिकअप नं० आर०जे० 07 जी०ए० 0686 बाडमेर की तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसे नाकास्थल पर पहुँचने पर एस०एच०ओ० साहब व मय जाब्ता द्वारा रुकने का इशारा किया जिसमें चालक सहित दो व्यक्ति थे। चैक करने पर पिकअप दो पॉर्टेशन में भेड़–बकरियां ठूस–ठूसकर क्रूरतापूर्वक भरी हुई मिली जिस पर थानेदार साहब ने मौके पर स्वतंत्र मौतबिर नहीं होने से रेवंत सिंह व लुंभाराम को मौतबिर मामूरकर पिकअप चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम सलीम खां पुत्र हाजी खां व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुभान खां पुत्र जालम खां बताया। पिकअप को चैक किया तो दो पार्टेशन में ठूंस–ठूंसकर भेड–बकरियां भरी मिली जिसे थाना परिसर में बकरियों नीचे उतरकर गिनती की तो कुल 68 जानवर जिसमें 52 बकरे–बकरियां व 16 भेड़े पाई गई। थानेदार साहब ने उक्त दोनों से लाइसेंस परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना पाया। पी.डब्ल्यू. 02 व 05 द्वारा यह भी कथन किया गया कि बकरे व भेड़ों की चोटें लगी हुई थी जो लड़खड़ाकर चल रही थी।

12. अनुसंधान अधिकारी गवाह भभूत सिंह पी.डब्ल्यू. 06 अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 24.05.2009 ओवरलॉडिंग वाहनों की चैकिंग के दौरान थाना परिसर के सामने मेगा हाई–वे पर 11डी पशु क्रूरता अधिनियम व 429 आई०पी०सी० के गिरफ्तारशुदा दो अपराधियों जब्तशुदा पिकअप वाहन भेड़–बकरियों की तफ्तीश उसके जिम्मे की। रवानगी रपट प्रदर्श पी० 73 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है और आमद रपट ईएक्सपी० 74 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने मुल० सलीम खां व सुभान खां के विरुद्ध जुर्म धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम 1960 व 113/194 एम०वी० एक्ट प्रमाणित मान पत्रावली एस०एच०ओ० साहब को सुपुर्द की। प्रतिपरीक्षण में गवाह कथन करता है कि जब्तशुदा वाहन में कुल 68 जानवर थे।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहान से यह जाहिर होता है कि अभियुक्तगण से 68 भेड़–बकरियां पिकअप में से बरामद की गई थीं जो कि दो कंपार्टमेंट में भरी हुई थीं। यह अपने आप में जाहिर करता है कि एक पिकअप में 68 भेड़–बकरियों को भरना संभव नहीं है एवं जिससे यह साफ जाहिर है कि भेड़–बकरियों को ठूंस–ठूंस कर पिकअप में भरा गया था एवं इसी कारण भेड़–बकरियों को चोटें

पहुंचीं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से विभिन्न फर्दों को स्वीकार किया गया है कि इस आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध 68 भेड़–बकरियों को बिना परमिट पिकअप में ठूंस–ठूंस कर क्रूरतापूर्वक परिवहन किया जाना संदेह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्तगण अभियुक्त सलीम खां को अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 व धारा 3/181, 113/194 एम.वी. एक्ट व अभियुक्त सुभान खां को अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

10. परिणामतः अभियुक्त सलीम खां पुत्र हाजी खां, निवासी देदासरी, तहसील बाप, जोधपुर को अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 व धारा 3/181, 113/194 एम.वी. एक्ट व अभियुक्त सुभान खां पुत्र जमाल खां, निवासी खारडी, पु.था. लूणी, जोधपुर को अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

:: सजा के प्रश्न पर ::

11. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उनका यह प्रथम अपराध है तथा वह लंबे समय से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः उनके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का भी लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

12. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एवं तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::दण्डादेश::

13. अतः अभियुक्त सलीम खां पुत्र हाजी खां, निवासी देदासरी, तहसील बाप, जोधपुर अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 व धारा 3/181, 113/194 एम.वी. एक्ट व अभियुक्त सुभान खां पुत्र जमाल खां, निवासी खारडी, पु.था. लूणी, जोधपुर को अपराध अंतर्गत धारा 11डी पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर तुरंत कारावास से दण्डित नहीं किया जाकर अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्तगण धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत् 01 वर्ष की अवधि के

सरकार बनाम सलीम खां वगैरा

लिये सदाचरण का बंध पत्र राशि 10,000/– रूपये तथा इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे, कि उक्त अवधि में वह सदाचारी रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, न ही कोई अन्य अपराध कारित करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने के लिये उपस्थित रहेगा, तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

14. धारा 05 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत् प्रत्येक अभियुक्त के विरूद्ध रूपये 100–100/– अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं। अभियुक्तगण को धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

15. प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् अभियुक्तगण को धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत् राशि रूपये 10,000–10,000/– के जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते हैं। जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगे। प्रकरण में कोई मालखाना लंबित नहीं है।

(विनोद पंवार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पचपदरा

13. निर्णय आज दिनांक 27.08.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद पंवार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पचपदरा

निर्णय दिनांक : 27.08.2026

सरकार बनाम सलीम खां वगैरा

नोटः— उक्त निर्णय/आदेश केवल जानकारी के लिए है। किसी भी संदर्भ के लिए न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.09.02 15:52:56 IST